9

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 281–दो/2006 – विरूद्व आदेश दिनांक 26–12–2005 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 206/2000–01 अपील

रामशरण पुत्र रामसेवक ब्राहमण ग्राम हिनौती
तहसील अमरपाटन जिला सतना ——आवेदक

विरूद्व

1– चन्द्रिकाप्रसाद 2– लक्ष्मण प्रसाद पुत्रगण सीताराम
निवासी ग्राम हिनोतीतहसील अमरपाटन जिला सतना। ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 01–11 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 206/2000–01 अपील में पारित आदेश दि0 26–12–2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त झिन्ना तहसील रामनगर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम हिनौती स्थित आ0नं0 899 रकबा 0.41 डि. की स्वीकृति प्रकरण कमांक 5 अ–6/83–83 में पारित आदेश दिनांक 28–11–1984 से हुई थी मौके पर उसका कब्जा होकर खेती की जा रही है किन्तु हलका पटवारी ने खसरा बनाते समय पुनः अनावेदकगण का नाम दर्ज कर दिया ,इसलिये इन्द्राज दुरूस्ती की जाय। तहसील न्यायालय में प्रकरण पॅजीबद्व कर पक्षकारों की सुनवाई उपरांत खसरे के कालम नं0 3 में आवेदक का नाम भूमिस्वामी दर्ज करने का आदेश दिया गया दिया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय

अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील हुई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 29 अ-6-अ/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-6-1998 से अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि मूल प्रकरण कमांक 5 अ-6/83-83 तलब कर उभय पक्षों की सुनवाई करके प्रकरण में गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जावे।

तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर कमांक 15 अ-6-अ/ 96-97 पर पॅजीबद्ध किया गया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 30-10-2000 से आवेदक का नाम खसरे के कालम नंबर 3 में पुनः भूमिस्वामी दर्ज करने का निर्णय लिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 120 अ-6-अ/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-10-2000 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 206/2000-01 अपील में पारित आदेश दि0 26-12-2005 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदगण को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये। उनके अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम हिनौती स्थित आ0नं0 899 रकबा 0.41 डि. की स्वीकृति प्रकरण कमांक 5 अ-6/83-83 में पारित आदेश दिनांक 28-11-84 से हुई थी। यह तथ्य भी है कि हलका पटवारी ने खसरा रोस्टर बनाते समय फिर से अनावेदकगण का नाम दर्ज कर दिया इसलिये इन्द्राज दुरुस्ती की मांग उठाई गई। तहसील न्यायालय में पक्षकारों की सुनवाई हुई एंव जांच में पाया गया वाद विचारित भूमि आवेदक के स्वामित्व की है एंव अनावेदकगण का नाम गलत इन्द्राज हुआ है, उसके उपरांत खसरे के कालम नंबर 3 में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने का आदेश हुआ है। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 29 अ-6-अ/97-98 में पारित आदेश दिनांक 15-6-1998 से अपील स्वीकार कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के लिये एंव मूल प्रकरण कमांक 5 अ-6/83-83 के तथ्यों के परीक्षण के

लिये एंव पूर्वदिश दिनांक 28-11-1984 के परीक्षण के लिये प्रत्यावर्तित किया गया। तहसील न्यायालय में नये सिरे से प्र0क015 अ-6-अ/ 1996-97 दर्ज हुआ एंव हितबद्व पक्षकारों को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये सुनवाई हुई, तदुपरांत आदेश दिनांक 30-10-2000 से आवेदक का नाम पूर्वदिशानुसार खसरे के कालम नंबर 3 में भूमिस्वामी दर्ज करने का निर्णय लिया गया। इस आदेश के विरुद्व अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 120 अ-6-अ/ 99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-10-2000 से अपील अस्वीकार की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-10-2000 का अॅश उद्धरण इस प्रकार है -

**" प्रत्यावर्तन के परिपालन में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रवाचक की रिपोर्ट प्राप्त किया तो उसमें उललेख किया गया है कि रा0प्र0क0 5 अ 6/83-84 आदेश दिनांक 28-11-89 के व्दारा रामशरण पिता रामसेवक ब्रा0सा0 हिनोती के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया था जो दायर पंजी वर्ष 1983-84 मेंप्रकरण दर्ज है जो प्रकरण खोजने में उपलब्ध नहीं हो रहा है कयोंकि रख रखाव के अभाव के कारण बहुत दीमक होने केकारण विनिष्ट हो गया है जिसके खंडन में अपीलांट्गणों व्दारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है लेकिन प्रवाचक के रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण व्दारा रिस्पा. का नाम से नामांतरण स्वीकार किया गया था और हलका पटवारी के प्रतिवेदन दिनांक 12-10-99 एंव स्थल पंचनामा से पाया जाता है कि वाद भूमि में मौके में रिस्पा0 (इस न्यायालय का आवेदक) का कब्जा दखल जरिये फसल बोकर पाया गया है। "**

इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 206/2000-01 अपील में पारित आदेश दि0 26-12-2005 से निकाले गये निष्कर्ष के अंश उद्धरण इस प्रकार हैं :-

**" रिस्पाण्डेंट के व्दारा जिस जमीन को पलट के आधार पर नामान्तरण किया जाना व्यक्त किया है वह आराजी रिस्पाडेंट के नाम से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज नहीं है तो पलट की कार्यवाही किस तरह की जा सकती है इस विधिक बिन्दु का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है। "**

तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2000 एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-10-2000 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दि0 26-12-2005 में निकाले गये निष्कर्षो पर विचार किया जाय - ग्राम हिनौती स्थित आ0नं0 899 रकबा 0.41 डि. की स्वीकृति प्रकरण कमांक 5 अ-6/83-83 में पारित आदेश दिनांक 28-11-1984 से होने का तथ्य आया है और यह तथ्य भी है कि हलका पटवारी ने खसरा रोस्टर बनाते समय फिर से अनावेदकगण का

नाम दर्ज कर दिया, इसलिये इन्द्राज दुरूस्ती की मांग उठाई गई। इसका आशय यह हुआ कि वर्ष 1984 के पूर्व भी भूमि आवेदक के नाम दर्ज रही है तभी आवेदक ने नाम सुधार का आवेदन देकर प्रकरण कमांक 5 अ-6/83-83 में पारित आदेश दिनांक 28-11-1984 से नाम इन्द्राज कराया है इसके उपरांत हलका पटवारी ने खसरा रोस्टर बनाते समय फिर से अनावेदकगण का नाम दर्ज कर देने के कारण पुर्नप्रकरण चला है जो अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के व्दारा आदेश दिनांक 30-10-2000 में की गई उपरोक्त विवेचना से भी पुष्टिकृत होता है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दि0 26-12-2005 पारित करते समय भ्रम उत्पन्न हो जाने से उक्तानुसार निर्णय लिया है जबकि पक्षकारों की तहसील न्यायालय में प्र0क0 5 अ-6/83-83 में एंव प्रत्यावर्तन स्वरूप पुर्नपॅजीयत प्रकरण कमांक 15 अ-6-अ/ 1996-97 में दो-दो वार सुनवाई हुई है एंव भूमि का मूल भूमिस्वामी आवेदक होना पाया गया है एंव अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने भी आदेश दिनांक 30-10-2000 पारित करते समय निकाले गये निष्कर्षो में मूल भूमिस्वामी आवेदक होना पाया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 206/2000-01 अपील में पारित आदेश दि0 26-12-2005 भ्रॉतिपूर्ण निर्णय की श्रेणी में होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 206/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-12-2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन का आदेश दिनांक 30-10-2000 तथा नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त झिन्ना तहसील रामनगर व्दारा प्रकरण कमांक 15 अ-6-अ/ 1996-97 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2000 उचित होने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर